



प्रेषक,

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी  
उत्तराखण्ड

पत्रांक: उ०वि०शि०प०/शोध-पाठ्य०/रेश०पाठ्यक्रम/ 17-38 /2023-24 दिनांक 04 मई, 2023  
विषय: सत्र 2023-24 हेतु हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों के रेशनेलाइज्ड पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व निर्गत पत्रांक: उ०वि०शि०प०/शोध-पाठ्य०-संशो०/03-10/2023-24 दिनांक 17 अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली द्वारा सत्र 2023-24 हेतु हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों की पाठ्यसामग्री को Rationalize किया गया गया है तथा तदनुसार ही सत्र 2023-24 हेतु पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं। एन०सी०ई०आर०टी० के निर्णय के आलोक में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा भी हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर संचालित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को Rationalize किया गया है। तदक्रम में अवगत कराया जाना है कि सत्र 2023-24 हेतु हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों का Rationalized पाठ्यक्रम परिषद् की वेबसाइट [www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) के SYLLABUS आइकन पर अपलोड कर दिया गया है जो <https://ubse.uk.gov.in/pages/display/88-syllabus> लिंक पर भी उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है इस सम्बन्ध में अपने जनपद में अधीनस्थ अधिकारियों, समस्त संस्थाध्यक्षों, विषयाध्यापकों व विद्यार्थियों को यथासमय अवगत कराने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(बी०एम०एस० रावत)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।

पृ० सं०- उ०वि०शि०प०/शोध-पाठ्य०/रेश०पाठ्यक्रम/ 17-38 /2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ, नैनीताल/गढ़वाल, पौड़ी।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड (द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड (द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड (द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी)।

(बी०एम०एस० रावत)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)।